शब्दबाणों का प्रहार

मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय अखबार

सिवनी

राष्ट्रबाण

संपादक : संजय बघेल

शनिवार 23 मई 2026 E-PAPER: www.rashtrabaan.in • वर्ष : 11 • अंक : 21 • पृष्ठ : 06 • मूल्य : 5.00 रुपए www.facebook.com/rashtrabaan www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई। पुलिस ने एक ड्रग्स सिंडिकेट से 9.7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। बरामद हेरोइन की कीमत 34.18 करोड़ रुपए है। मामले में अंतरराज्यीय सप्लायर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजय जाधव ने बताया कि कल्याण एंटी-नारकोटिक्स एक्शन टीम ने कई हफ्तों तक अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। टीम ने 1 अप्रैल को कासिम अब्दुल सत्तार वसईकर और कृष्णा नागप्पा हलेमानी को पकड़ा। उसके बैग की तलाशी में 9.2 किलो हेरोइन और नकदी बरामद हुई। वसईकर के घर की तलाशी में 531.69 ग्राम हेरोइन मिली।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले में 4 महिलाओं की मौत

चंद्रपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शुक्रवार सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने गई चार महिलाओं की बाघ के हमले में मौत हो गई। वन अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में कावड़ाबाई मोहुर्ले, अनीताबाई मोहुर्ले, सुनीता मोहुर्ले और संगीता चौधरी शामिल हैं। सभी गूंजेवाही गांव की रहने वाली थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कमल हासन ने की सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग

चेन्नई। सांसद और मक्कल नीधि मय्यम प्रमुख कमल हासन ने पश्चिम एशिया संकट और ईरान युद्ध के भारत पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई है। कमल हासन ने केंद्र सरकार से सभी मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स कम किया जाए। ट्रेन, मेट्रो व बस किराए घटाए जाएं, ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट और वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 60 से ज्यादा देशों ने ऊर्जा बचत के नियम लागू किए हैं। उन्होंने कहा, ऐसे समय में राष्ट्रीय जिम्मेदारी पार्टी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी-जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए।

राष्ट्रबाण

अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका लोकप्रिय अखबार राष्ट्रबाण तो आज ही अपने हॉकर से बोलिए या हमे कॉल कीजिए

सिर्फ 100 रुपए महीना

संपर्क : 7000427433

दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत के, 13 यूपी के शहर

35 शहरों में रात में भी गर्म हवाएं चलीं, उत्तरप्रदेश में बुरे हालात

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। एक्यूआई वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह सभी शहर भारत के हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म रहा।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में गुरुवार को रात का पारा 30डिग्री से ऊपर रहा। बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। मधेपुरा और सहरसा में गुरुवार को बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई।

पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब दफ्तर और स्कूल सुबह साढ़े 7 बजे खुलेंगे और दोपहर 1.30 बजे बंद होंगे।

मध्यप्रदेश के 4 जिलों में तेज लू का रेड अलर्ट

46 डिग्री के पार जा रहा तापमान; अगले 10 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी रहेगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से तीन बजे तक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, अगले 10 दिन यानी 31 मई तक गर्मी का यह दौर अपने पीक पर रहेगा। शुक्रवार को निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर पारा 46 डिग्री के पार जाने की आशंका है।

अगले दो दिन के मौसम का हाल

23 मई : राजस्थान में गंभीर हीटवेव का अलर्ट है। रातें भी गर्म रहेंगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हीटवेव चलेगी। असम, मेघालय, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है।

24 मई : बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमसभरा मौसम बना रह सकता है। केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है।

होर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में ईरान

ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी, अमेरिका बोला- यह मंजूर नहीं

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के 'मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया' की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक, यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा।

फरवरी में अमेरिकी और इजराइली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विकल्पों पर चर्चा शुरू की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और यहां किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसका विरोध किया। दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह के शुल्क या प्रतिबंध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीधे टोल लगाने के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें जहाजों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर रकम ली जा सकती है।

ईरान का जर्मनी को जवाब: यूएस-इजराइल युद्ध यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन

ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 'स्पष्ट उल्लंघन' बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टाइनमायर को संबोधित सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी भी संप्रभु देश पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। बघाई ने कहा कि फरवरी के अंत में ईरान पर हुआ अमेरिका-इजराइल हमला और उसके बाद का युद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उनके मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी देश को मनमाने तरीके से दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं देता।

पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को पाकिस्तान-बांग्लादेश से धमकियां

वीडियो कॉल में कहा- दुकान बम से उड़ा देंगे, हथियार भी दिखाए

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह जानकारी दुकानदार बिक्रम कुमार ने शुक्रवार को दी। उसने बताया, 'पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले लोग उनकी दुकान उड़ाने की धमकी दे रहे हैं।'

बिक्रम ने बताया कि एक वीडियो कॉल में कुछ लोग उन्हें हथियार भी दिखा रहे थे। इसके चलते वे और उनका परिवार काफी तनाव में है। मोदी ने 20 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में चुनावी रैली की थी।

रोड शो के दौरान उन्होंने बिक्रम की दुकान से झालमुड़ी खरीदकर खाई थी। पीएम ने बिक्रम से हुई इस मुलाकात का करीब 40 सेकेंड का वीडियो और फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थीं।

कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर बोले- शिक्षामंत्री इस्तीफा दें : परिजन बोले- 2 रातों से नहीं सोए

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके शुक्रवार को सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिन बाद पहली ऑनलाइन आए। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है।

दीपके ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा- आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें शिक्षामंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस पिटीशन पर साइन कीजिए, ताकि सिस्टम की गलती पर सवाल उठ सके। अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में बनाई है। सीजेआई ने 15 मई को सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगारों को कॉकरोच कहा था।

पेरेंट्स नहीं चाहते बेटा राजनीति में जाए, पढ़िए उनका बयान

उधर 'कॉकरोच जनता पार्टी' पेज के इंस्टाग्राम पर अचानक लोकप्रिय होने से उसके फाउंडर अभिजीत दीपके के माता-पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें डर है कि उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ सकता है। उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभिजीत के पेरेंट्स भगवान और अनीता दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं। दोनों ने गुरुवार को एक मराठी न्यूज चैनल को बताया- 'हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। अभिजीत के इस कदम के बारे में सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। '

एक जून से पांच जून के बीच थानों में तबादले

कोई भी पुलिसकर्मी एक थाने में पांच साल से अधिक नहीं रहेगा, दोबारा भी पदस्थ नहीं होगा

राष्ट्रबाण भोपाल | एजेंसी
rashtrabaan.in

मप्र में अब किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही थाने में पांच साल से अधिक अवधि तक पोस्टिंग नहीं रहेगी। इसके साथ ही उसी थाने में उसी दोबारा पदस्थ भी नहीं किया जा सकेगा। आरक्षक से उप निरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी को एक ही पुलिस अनुविभाग में अलग-अलग पोस्टिंग के बाद भी दस साल से अधिक समय तक पदस्थ नहीं किया जाएगा।

यह निर्देश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि थानों में लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों का चरणबद्ध स्थानांतरण किया जाएगा ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे। शुक्रवार को जारी आदेश में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुलिस आयुक्त इंदौर, भोपाल और सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि किसी भी कर्मचारी की एक ही थाने में एक पद पर पदस्थापना अवधि अधिकतम 4 वर्ष रहेगी। इसकी कुल अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है।

पदस्थापना की अवधि 10 साल से अधिक नहीं होगी

पीएचक्यू के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी की अलग-अलग पदों पर एक ही थाने में पुन: पदस्थापना के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतर आवश्यक रहेगा। आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक किसी भी कर्मचारी की एक ही पुलिस अनुभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के थानों में पदस्थ कर्मचारियों की तत्काल समीक्षा कर 1 जून 2026 से 5 जून 2026 तक स्थानांतरण आदेश जारी करें।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पुराना आदेश बदला

नईदिल्ली। एनसीईआरटी बुक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर पर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले दिया फैसला बदल दिया है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन तीन शिक्षाविदों ने विवादित हिस्सा लिखा। उन्हें हटा दिया जाए और दोबारा काम न दिया जाए। अब शुक्रवार को तीनों शिक्षाविदों की याचिका पर कोर्ट ने आदेश बदलते हुए कहा कि केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी और सरकारी फंड पाने वाले संस्थान इस मामले में खुद फैसला लें।

अवैध बांग्लादेशियों को सीधे बीएसएफ को सौंपेंगे : शुभेंदु

कोर्ट में पेशी नहीं होगी; अवैध प्रवासियों को सीएए से नागरिकता का हक नहीं

राष्ट्रबाण कोलकाता | एजेंसी
rashtrabaan.in

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार कहा है कि राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है। हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु ने कहा कि इस बारे में पुलिस कमिश्नर और रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि आज हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।

अवैध प्रवासियों को सीएए से नागरिकता नहीं मिलेगी

बंगाल की नई भाजपा सरकार के इस नए नियम के मुताबिक, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता पाने के हकदार नहीं होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि अगले तीन महीनों के कम समय के लिए प्रशासन का पूरा ध्यान कुछ जरूरी कामों पर रहेगा। इनमें साफ और छना हुआ पीने का पानी देना, कचरे की सफाई, नालियों की मरम्मत और पार्क, स्वास्थ्य केंद्र (अस्पताल) व स्कूलों जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि इस कमेटी के कामों की निगरानी नगर विकास सचिव खलील अहमद करेंगे।

एवरेस्ट से उतरते वक्त 2 भारतीयों की मौत : ज्यादा थकान से सांसें फूल गई थीं

शेरपा रेस्क्यू टीम ने की थी बचाने की कोशिश

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 2 भारतीय पर्वतारोहियों की उतरते समय मौत हो गई। यह जानकारी शुक्रवार को नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि भंडारी ने दी। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे नामक पर्वतारोही एवरेस्ट से उतरते समय बुरी तरह थक गए थे। इससे उनकी सांसें फूल गई थीं।

भंडारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आरे ने बुधवार को, जबकि अरुण तिवारी ने गुरुवार को शाम करीब 5:30 बजे एवरेस्ट को फतह किया था। अरुण तिवारी की मौत हिलेरी स्टेप के पास हुई। वहीं, संदीप अरे को शेरपा रेस्क्यू टीम कैंप-2 तक ले आई थी। कैंप पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई।

संदीप अरे

अरुण कुमार तिवारी

तीन भारतीयों ने एवरेस्ट फतह किया बुधवार को संदीप रे समेत तीन भारतीय पर्वतारोहियों ने 8 हजार 848 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। इसमें अन्य दो पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनूरी और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। अगले दिन, गुरुवार को भारत के अरुण तिवारी और लक्ष्मीकांत मंडल चोटी पर पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट बोला : क्रीमी लेयर के बच्चे रिजर्वेशन लेते रहे तो इससे कभी नहीं निकल पाएंगे

माता-पिता आईएएस, तो बच्चों को आरक्षण क्यों

राष्ट्रबाण नईदिल्ली | एजेंसी
rashtrabaan.in

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरी में क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा- अगर माता-पिता दोनों आईएएस अफसर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?

शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए, तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे।

उम्मीदवार कर्नाटक के कुरुबा समुदाय का, माता-पिता सरकारी नौकरी में

यह मामला कर्नाटक में 'कुरुबा' समुदाय से जुड़े एक उम्मीदवार का है। कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की सूची में इस समुदाय को 'श्रेणी 2(ए)' के तहत रखा गया है। उम्मीदवार यानी याचिकाकर्ता का 'कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में 'सहायक इंजीनियर' के पद पर सिलेक्शन हुआ था। उसकी आरक्षित कोटे के तहत नियुक्ति की गई थी। हालांकि, 'जिला जाति और आय सत्यापन समिति' ने उम्मीदवार को 'जाति प्रमाण पत्र' देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 'क्रीमी लेयर' के दायरे में आता है। उम्मीदवार के परिवार की सालाना आमदनी लगभग ₹19.48 लाख आंकी गई थी।

अधिकारियों ने पाया कि उसके माता-पिता दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी कुल आमदनी, 'क्रीमी लेयर' के लिए तय की गई सीमा से ज्यादा है। नियमों के अनुसार ओबीसी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की मौजूदा आय सीमा सालाना 8 लाख रुपए है। यानी अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आमतौर पर उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये कमेंट तब किया। जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था। क्योंकि उसके माता-पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणी; आरक्षण में संतुलन जरूरी

जिन परिवारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से तरक्की कर ली है, उन्हें भी आरक्षण के फायदे मिलते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा और बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक रुतबे में भी सुधार आता है। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण ठीक लेकिन सबको नहीं। इसमें कुछ संतुलन चाहिए।

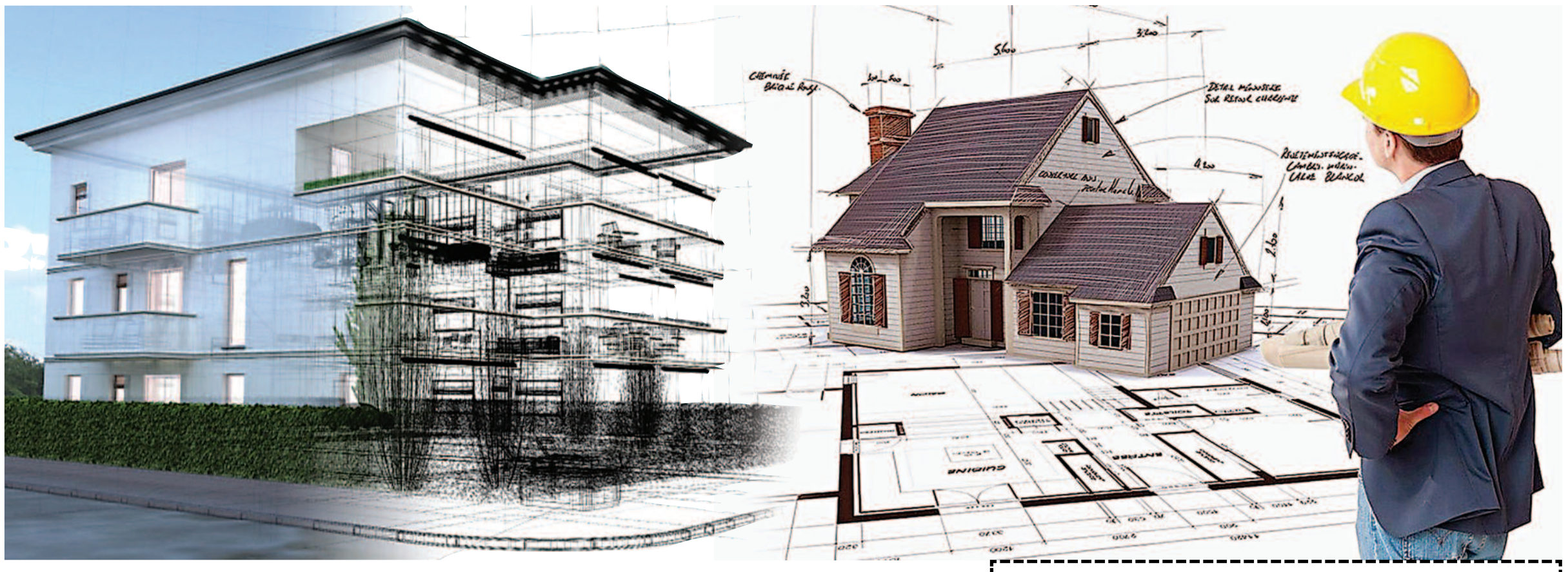

जरूरी है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के बीच अंतर जानना

रियल एस्टेट सेक्टर, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन दोनों प्रोफेशन पर पूरी तरह से आश्रित रहती है : एक आर्किटेक्ट्स और दूसरे सिविल इंजीनियर्स। कंसट्रक्शन बिजनेस का जहां तक संबंध है, आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स इनके अभिन्ना हिस्से हैं। क्योंकि ये दोनों ही खूबसूरत और सुविधाजनक निर्माण कार्य करने में मदद कर सकते हैं। प्रकृति में एक ही जैसे इन दोनों प्रोफेशंस के लिए इसी इंडस्ट्री में काम के अवसर हैं। और शायद इसीलिए विद्यार्थी दोनों में से क्या चुनें इसे लेकर पसोपेश में पड़ जाते हैं। एक बात और भी है कि दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं भी हैं। लेकिन इसके साथ ही दोनों के बीच बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी है। इन्हीं समानताओं और असमानताओं के प्रकाश में दोनों में से किसका चयन किया जाना चाहिए और क्यों इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए और उनकी रुचि के अनुसार निर्णय करने के लिए हमने विषय का क्षेत्र, परिभाषा, काम करने की प्रकृति, संभावित आय, अच्छे कॉलेज और कुछ दूसरी चीजों की सूचनाएं हमने जमा की हैं। एक तरफ सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों ही अपने कोर्स और कंटेट में एक जैसी ही लगते हैं, तब बात इनकी परिभाषाओं की होती है। दोनों के बीच बहुत सारे फर्क हैं।

आर्किटेक्चर : आर्किटेक्चर शब्द की उत्पत्ति 'आर्किटेक्टोन'' से हुई है। जिसका मतलब है 'चीफ-बिल्डर'' या 'मुख्य भवन निर्माता''। जब इस शब्द की उत्पत्ति हुई होगी तब हो सकता है कि आर्किटेक्ट्स ही बिल्डर हुआ करते होंगे। लेकिन जब बात असली परिभाषा की होती है तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने से ज्यादा कलात्मकता की मांग करता है। यह एक सृजनात्मक क्षेत्र हैं और यह किसी बिल्डिंग को बनाने की कला और विज्ञान दोनों से संबंद्ध होता है।

सिविल इंजीनियरिंग

सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत वृहद् शब्द है। इसमें भवन के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन औरउसके प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के रखरखाव का काम शामिल है। इसमें सड़कें, पुल, नहरें, बांध और भवन हर चीज शामिल हैं। दूसरे शब्दों में सिविल इंजीनियरिंग भवन निर्माण के दूसरे संरचनात्मक तत्वों पर फोकस करता है। तय करता है कि कौन-सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना है, संरचना लंबे समय तक कैसे टिकी रह सकती है और उसके लिए क्या-क्या प्रयास करने होंगे? बहुत साधारण शब्दों में आर्किटेक्ट्स दी हुई जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्पनाशीलता और गणितीय कौशल से ज्यादा सुविधाजनक बनाता है। इसके उलट एक सिविल इंजीनियर असल में आर्किटेक्ट द्वारा दी गई डिजाइन को असेस करता है कि वह समय पर और उस जगह में उसी तरह का निर्माण करते हुए उतना मजबूत हो पाएगा? इस दृष्टि से एक पक्ष कलात्मक है और दूसरा व्यवहारिक।

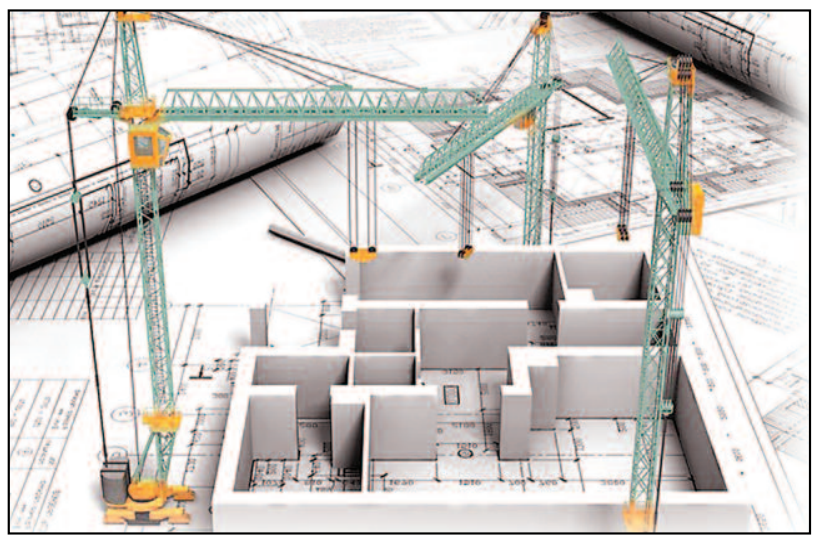

क्या है दोनों विषयों के क्षेत्र का विस्तार?

विषय का क्षेत्र संभवत : सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के बीच का। आर्किटेक्चर बिल्डिंग की डिजाइन और संरचना में उसकी व्यवहारिकता और सौंदर्य से संबंध रखता है। आर्किटेक्चर मूलभूत संरचना के तत्वों के साथ बिल्डिंग के सुंदर और व्यावहारिक होने पर जोर देता है। दूसरी तरफ सिविल इंजीनियर्स उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन के प्लान को लागू करता है और देखता है कि उन्हें किस तरह से एक्जिक्यूट किया जा सकता है। सिविल इंजीनियर उसके संरचनात्मक ढांचे की डिजाइन पर फोकस करता है और एक्स्ट्रीम कंडीशन्स में उसके रखरखाव और उसकी मजबूती को निश्चित करता है।

कोर्स और एलिजिबिलिटी

आमतौर पर बी.आर्क का पांच साल का स्नातक कोर्स पूरे देश के आर्किटेक्चर स्कूल में करवाया जाता है। काउंसिल ऑफ आर्किक्टेक्चर द्वारा आयोजित कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट की जहां तक बात है, वे सब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह ही होते हैं। बी.आर्क के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्य जैसे विषयों के साथ 12 वीं बोर्ड की परीक्षा पास करनी होती है। स्नातक कोर्स को पूरा करने के बाद बी.आर्क.के स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर में दो साल का स्नातकोत्तर का कोर्स भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग करने वालों के लिए आमतौर पर दो रास्ते हैं। पहला डिग्री कोर्स कर लें, या फिर कम अवधि का डिप्लोमा कोर्स कर लें। सिविल इंजीनियर बनना चाहने वालों के बीच सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से बी.टेक. करना बहुत लोकप्रिय है। यह कोर्स पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में उपलब्ध होता है। इन कॉलेजों में एडमिशन जीईई मेन्स, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई या फिर आईआईटी और आईएसएम-धनबाद में एडमिशन जेईई एडवांस के परीक्षा में मेरिट के आधार पर होता है। जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका 12 वीं बोर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्य लेकर पास होना आवश्यक है।

रोजगार के अवसर व पैकेज

सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषय को चुनने की एक सबसे बड़ी वजह ही यह है कि इसमें रोजगार के अवसर भी ज्यादा है और पैकेज भी अच्छा मिलता है। फिर भी दोनों कोर्स के बीच कौन-सा कोर्स चुना जाए इसे लेकर कंफ्यूजन भी कम नहीं है।

आर्किटेक्चर : आर्किटेक्ट अलग-अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में डिजाइनर के तौर पर काम करता है। उसकी पहली जिम्मेदारी अपने क्लाइंट की जरूरत को समझना और उस हिसाब से व्यावहारिक, सुविधाजनक और सुंदर डिजाइन तैयार करना है। प्राइवेट बिल्डर्स के साथ-साथ सरकारी एजेंसी भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और अन्य में भी आर्किटेक्ट्स की जरूरत हुआ करती है। जहां तक वेतन की बात है तो यह 25 से 30 हजार महीने से शुरू होता है और यह आपके कौशल और अनुभव के आधार पर एक आर्किटेक्ट 1 लाख रुपए महीना तक अर्न कर सकता है।

सिविल इंजीनियरिंग : सिविल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्ट्स से ज्यादा स्कोप है। सिविल इंजीनियर्स के पास सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट संस्था के लिए भी बेहतरीन काम करने के अवसर होते हैं। रोजगार के अवसरों की जहां तक बात है, प्राइवेट संस्था में तो अवसर हैं ही, सरकारी संस्थाओं में भी जरूरत होती है। सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ सिविल इंजीनियर्स की जरूरत तो इंडियन आर्मी में भी होती है। इसके अलावा वे अपनी खुद की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म भी स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही टीचिंग में भी बहुत मांग है। जिनके पास स्वयं लिखने का कौशल है वे अपने ही क्षेत्र में तकनीकी लेखन कर सकते हैं। आपका कौशल और आपकी योग्यता के आधार पर एक सिविल इंजीनियर की अर्निंग 4 से 8 लाख रुपए तक हो सकती है। आर्किटेक्ट्स की तरह की सिविल इंजीनियर्स को भी अनुभव और कौशल के आधार पर बेहतर अर्निंग हो सकती है।

निष्कर्ष

सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों ही बहुत उपयोगी एकेडमिक प्रोग्राम्स है, दोनों के अपने-अपने लाभ और हानि है। अपनी सुविधा और रुचि के हिसाब से आप दोनों में कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। तरक्की का संबंध तो आपके बेहतर परफॉर्मेंस से है जो आपकी योग्यता और कौशल पर निर्भर करता है।

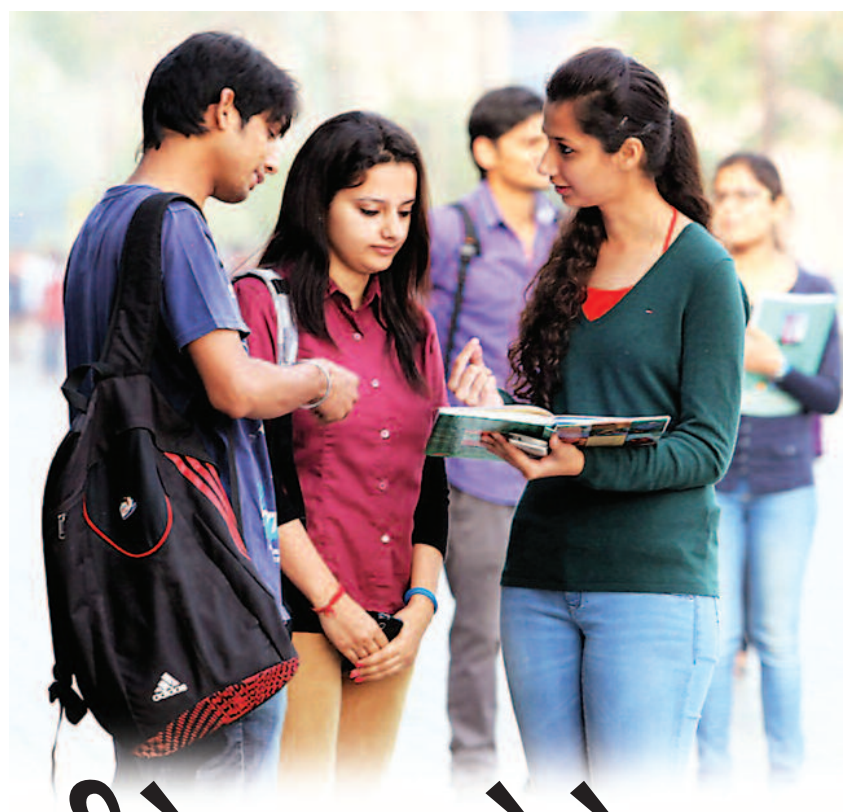

बीटेक करने के बाद यहां बना सकते हैं राहें

बीटेक के आधार पर आपको जॉब मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि यह सब कुछ आपके तकनीकी ज्ञान और दक्षता पर निर्भर करता है। देश के अग्रणी बीटेक कॉलेज अपने छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था करते हैं। जॉब मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, परंतु योग्य बीटेक छात्रों के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों में नौकरी की कमी नहीं है।

बीटेक के बाद एमटेक

यदि आपकी रुचि टीचिंग या रिसर्च में है, तो बीटेक के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी यानी एमटेक के आधार पर आपका करियर आगे चलकर बहुत बेहतर हो सकता है। तकनीक के क्षेत्र में योग्य रिसर्चर की मांग भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी है। एमटेक में प्रवेश के लिए आपको गेट यानी ग्रेजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग प्रवेश जांच परीक्षा से गुजरना होगा, जिसका संपूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंसल्टेंसी

कई व्यापारिक प्रतिष्ठान कंसल्टेंट से तकनीकी सलाह लेते हैं। मसलन, रियल एस्टेट कंपनियां सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर से, आईटी कंपनियां कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से *और उद्योग मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर से सलाह लेते रहते हैं। एक तकनीकी कंसल्टेंट के रूप में आप स्वयं को स्थापित करने का भी एक विकल्प सोच सकते हैं।

बीटेक के बाद एमबीए

आपने बड़ी संख्या में बीटेक छात्रों को एमबीए करते हुए देखा होगा। दरअसल आज कंपनियां किसी भी

अच्छे वेतन वाले कर्मचारी में तकनीकी के साथ-साथ प्रबंधकीय कौशल भी ढूंढ़ती है। अत : बीटेक के बाद किसी स्तरीय संस्थान से एमबीए करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे आपको मिलने वाले अवसरों में इजाफा होगा।

कोचिंग सेंटर में टीचिंग

यदि आपने किसी स्तरीय संस्थान से बीटेक किया है, तो इसे प्रचारित कर आप या तो किसी स्थापित कोचिंग संस्थान में टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा अपना स्वयं का कोचिंग सेंटर भी स्थापित कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपके अंदर किसी एक विषय को लेकर विशेष दक्षता और बेहतरीन संचार कौशल होना चाहिए।

सिविल सेवा

बीटेक के बाद छात्रों का एक बड़ा समूह भारत में सबसे प्रतिष्ठित रोजगार अर्थात सिविल सेवा का रुख करता है। तकनीकी क्षेत्र से आने के कारण इन छात्रों को सिविल सेवा के वैसे तमाम विषयों के प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है, जिनका कोई भी संबंध तकनीक से है। इंजीनियरिंग के छात्र अपेक्षाकृत बेहतर समय प्रबंधन, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग और सटीक माइंडसेट वाले माने जाते हैं। इन तमाम कारणों से बीटेक के छात्र सिविल सेवा की तरफ जाना चाहते हैं और अच्छी संख्या में सफल भी होते हैं।

राष्ट्रबाण
सिवनी, शनिवार 23 मई 2026

बालाघाट राष्ट्रबाण

● बैहर ● बिरसा ● कटंगी ● तिरोड़ी ● कटंगी ● खैरलांजी ● किरनापुर ● लालबर्रा ● लांजी ● परसवाड़ा ● वारासिवनी

ग्राम पंचायत पांढ़रवानी प्रभारी के भरोसे, भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप

लालबर्रा | संवाददाता
rashtrabaan.in

मुख्यालय की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढ़रवानी इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार बनी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण पंचायत में लंबे समय से एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी (पूर्णकालिक सचिव) का पद रिक्त पड़ा है। वर्तमान में पंचायत का पूरा काम-काज प्रभारी सचिव के रूप में एक रोजगार सहायक कृष्णा पंचेश्वर द्वारा संभाला जा रहा है, जिन्हें वित्तीय प्रभार भी सौंप दिया गया है। ऐसे में जनपद और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इस सबसे बड़ी पंचायत को एक स्थाई सचिव नहीं मिल पा रहा है।

सरपंच पर लगे शासकीय राशि के बंदरबांट के आरोप

चर्चाओं और आरोपों का बाजार गर्म है कि रोजगार सहायक को पंचायती राज नियमों का पर्याप्त ज्ञान न होने का सीधा फायदा सरपंच अनीस खान द्वारा उठाया जा रहा है। आरोप है कि सरपंच द्वारा कथित तौर पर दबाव बनाकर शासकीय राशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। क्षेत्र में यह भी चर्चा जोरों पर है कि सरपंच अनीस खान अपने मनमुताबिक काम करवाने के लिए पूर्व में आए सचिवों की गलत तरीके से शिकायतें कर उन्हें हटवा देते हैं, ताकि रोजगार सहायक के पास ही प्रभार रहे और वे बिना किसी रोक-टोक के अपनी मर्जी से पंचायत चला सकें। इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर स्थाई सचिव नियुक्त करने और वित्तीय गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।

प्रशिक्षणधारी सचिव भी छोड़ गए पंचायत

ग्राम पंचायत पांढ़रवानी

सूत्रों के मुताबिक, कुछ समय पहले प्रशासन ने एक प्रशिक्षणधारी सचिव को पांढ़रवानी ग्राम पंचायत में नियुक्त किया था। लेकिन यह व्यवस्था भी बेअसर साबित हुई और उक्त सचिव ने कुछ ही दिनों में पंचायत आना बंद कर दिया। इसके बाद से पुनः पूरी पंचायत प्रभारी के भरोसे छोड़ दी गई। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि मुख्यालय की नाक के नीचे चल रही इस बड़ी पंचायत की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

अनीस खान सरपंच पांढ़रवानी, अनीस की मनमानी और हेकड़ी से नहीं टिकते कोई सचिव

कृष्णा पंचेश्वर रोजगार सहायक व प्रभारी सचिव, सरल सहज स्वभाव के होने के कारण सरपंच फायदा उठा रहा।

4 शराब ठेकेदारों पर करीब साढ़े 5 लाख का जुर्माना

एमआरपी से अधिक शराब बेचने पर कार्रवाई, कर्मचारियों ने खुद ग्राहक बनकर खरीदी की

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

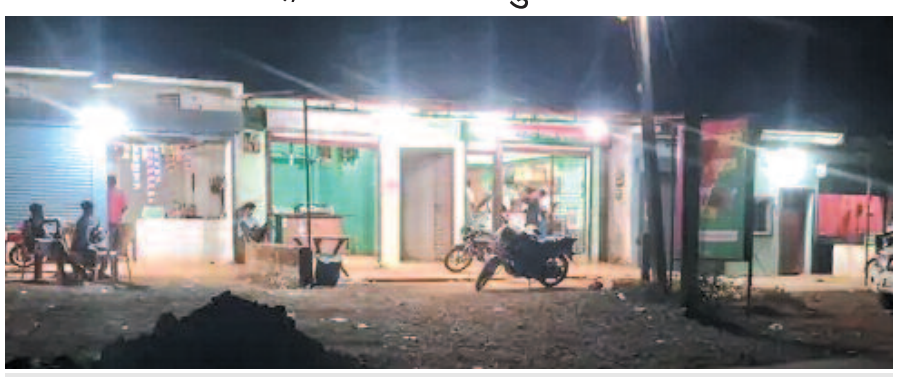

बालाघाट जिले में लाइसेंसी शराब दुकानों के तय कीमत (एमआरपी) से ज्यादा दाम पर शराब बेचने की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने कटंगी, गर्रा, मोहगांव और टेडवा की चार दुकानों पर कुल 5 लाख 37 हजार 577 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पूरी कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर अलग-अलग क्षेत्रों में की गई।

यह कार्रवाई महज दो दिनों के भीतर पूरी की गई है। कटंगी और गर्रा की दुकानों पर पहले ही जुर्माना हो चुका था। शुक्रवार को मोहगांव (धपेरा) और टेडवा की कंपोजिट शराब दुकानों के मालिकों पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में 2 लाख 10 हजार 834 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

ग्राहक बनकर पकड़ी दुकानदारों की चोरी

जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि वारासिवनी सर्किल के आबकारी उपनिरीक्षक ने 5 मई को मोहगांव की दुकान पर अचानक छापा मारा और खुद ग्राहक बनकर शराब खरीदी। जांच में पता चला कि 230 रुपए वाली स्ट्रॉन्ग बीयर (650 एमएल) को 250 रुपए में बेचा जा रहा था, यानी सीधे तौर पर 20 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे थे।

इस गड़बड़ी पर 61 हजार 912 रुपए की ड्यूटी राशि और नियमों के उल्लंघन के लिए अलग से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

टेडवा दुकान पर भी हुई कार्रवाई

इसी तरह लांजी सर्किल के आबकारी उपनिरीक्षक ने 2 मई को टेडवा की दुकान पर जांच की। वहां 260 रुपए वाला रॉयल स्टैग व्हिस्की का पाव (180 एमएल) 280 रुपए में बेचा जा रहा था। नियमों के इस उल्लंघन पर दुकान पर 1 लाख 28 हजार 922 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस की शर्तों को तोड़ने के लिए 10 हजार रुपए का अतिरिक्त दंड लगाया गया।

नियम तोड़ने वालों को चेतावनी

अधिकारी ने बताया कि जिले में ऐसे और भी मामलों की जांच और कार्रवाई लगातार चल रही है। उन्होंने शराब दुकान संचालकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से एक भी रुपया ज्यादा लेगा, तो उसके खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति ला रहा है बीएसएनएल

बालाघाट। बीएसएनएल भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है जो मोबाइल, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, एंटरप्राइज एवं डिजिटल कनेक्टिविटी सेवाएँ प्रदान करती है। इस सम्बन्ध जानकारी देते हुए मिथिलेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश परिमंडल ने बताया कि 'भारतनेट उद्यमी ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी की रीढ़ साबित होंगे। इस पहल के माध्यम से बीएसएनएल न केवल इंटरनेट सेवाओं का विस्तार कर रहा है, बल्कि स्थानीय उद्यमिता एवं रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है। आगे उन्होंने बताया कि बीएसएनएल वर्तमान में 16 राज्यों में भारतनेट परियोजना का संचालन एवं रखरखाव कर रहा है। अब तक लगभग 6.94 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है तथा 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण भारत में 13 लाख से अधिक एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। बीएसएनएल द्वारा 'भारतनेट उद्यमी' मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सड़क पर मिली महिला की अस्पताल में मौत : नाती-नातिन छोड़ गई बुजुर्ग

सरकारी योजनाओं से वंचित रही, नहीं मिला लाभ

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

जिले में दो दिन पहले सड़क पर गिरी महिला की पहचान हो गई है। बालाघाट के भरवेली निवासी सुशीला पति मंगलसिंह कुर्वेती का आज शुक्रवार को निधन हो गया। जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। महिला की मौत के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।

महिला की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उसे दो दिन पहले दोपहर में सड़क पर गिरे हुए पाए जाने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा हा कि वह भीख मांगने का काम करती थी। उसकी बहू ने एक साल पहले आत्महत्या कर ली थी, जबकि बेटा बेंगलुरु में काम करता है। सुशीला अपने दो मासूम नाती-नातिन के साथ भरवेली में रहती थी।

महिला के अंतिम संस्कार के लिए चंदा जुटाया जा रहा

महिला के आश्रित उसके दो मासूम नाती-नातिन अब अनाथ जैसी स्थिति में हैं, हालांकि उनके पिता जीवित हैं लेकिन वे घर से बाहर रहते हैं। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि इस मामले में मर्ग कायम कर जांच के लिए संबंधित थाने भेजा जाएगा। यह भी सामने आया है कि सुशीला बाई और उसके गरीब परिवार को कभी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। फिलहाल, महिला के अंतिम संस्कार के लिए चंदा जुटाया जा रहा है।

सरकारी योजना से वंचित थी महिला

भरवेली निवासी अनिल बिसेन ने बताया कि मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए दानराशि जुटाई जा रही है। कई बार परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेज जमा करने कहा, लेकिन उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। जानकार बताते है कि आज, जिस महिला की अंत्येष्टी चंदे से करने की तैयारी की जा रही है, यदि वह योजनाओं से लाभांवित होती तो परिवार सहायता, अंत्येष्टी सहायता, संबल और श्रमिक योजना से महिला के परिवार को लाखों रूपए की राशि मिली होती।

जनपद पंचायत खैरलांजी अध्यक्ष आशु बघेले का निर्वाचन निरस्त

● हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर न्यायालय का बड़ा फैसला, ओबीसी प्रमाण-पत्र विवाद में कार्रवाई

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

खैरलांजी में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे बहुचर्चित निर्वाचन विवाद में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य श्रीमती आशु बघेले का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। यह आदेश 14 मई 2026 को पारित किया गया।

प्रकरण की शुरुआत जनपद सदस्य खुशबू बिसेन द्वारा दायर निर्वाचन याचिका से हुई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्रीमती आशु बघेले ने अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते समय मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनके पास केवल महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी पिंजारा जाति प्रमाण-पत्र था, जबकि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मध्यप्रदेश का जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

मामला पहले कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा था, जहां से पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को पूर्व आदेश निरस्त करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 1 फरवरी 2019 को संशोधित पंचायत निर्वाचन नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है और केवल शपथ-पत्र इसके स्थान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुनः सुनवाई के दौरान अनावेदक पक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग के परिपत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर नामांकन वैध बताए जाने की दलील दी, वहीं आवेदिका पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए निर्वाचन निरस्त करने की मांग की।

कलेक्टर न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि श्रीमती आशु बघेले ने नामांकन पत्र के संबंधित कॉलम में स्वयं 'नहीं' अंकित कर यह स्वीकार किया था कि उनके पास मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था। न्यायालय ने माना कि महाराष्ट्र का प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश में आरक्षण लाभ के लिए मान्य नहीं माना जा सकता तथा नामांकन स्वीकार किया जाना वैधानिक त्रुटि थी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण याचिका दायर होने मात्र से मूल आदेश पर स्वतः रोक नहीं लगती। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसके बाद कलेक्टर न्यायालय ने अंतिम निर्णय पारित किया। आदेश के अनुसार श्रीमती आशु बघेले को जनपद पंचायत खैरलांजी के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 से जनपद सदस्य तथा अध्यक्ष पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए दोनों निर्वाचन शून्य एवं निरस्त घोषित किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी को रिक्त पदों पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने 22 मई को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न राजस्व कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को समयसीमा के भीतर प्रकरणों के निराकरण तथा राजस्व कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर जी.एस. धुर्वे, डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, एम.आर. कोल, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

बैल बाजार में किसानों को पिलाया ठंडा पेयजल

चेतना जन कल्याण समिति अमोली अध्यक्ष व आरएसएस के पूर्व जिला प्रचारक चंद्रकुमार बसेने व अन्य सहयोगियों की पहल

लालबर्रा | संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट जिले के लालबर्रा बैल बाजार में गुरुवार 21 मई को तपतपाती भरी दोपहर में चेतना जन कल्याण समिति अमोली (लालबर्रा) अध्यक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व जिला प्रचारक चंद्रकुमार बसेने (चंदू भैय्या) व अन्य सहयोगियों के हस्ते बैल बाजार में ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे अन्नदाता किसान जो पुरी दुनिया को भोजन करने के लिए परिवार सहित खेत में मेहनत कर अनाज उगाकर अनाज उपलब्ध कराते हैं। बैल बाजार में तपतपाती धूप में प्यास से जिनके कंठ सूख जाते हैं, किसानों की प्यास बुझाने के लिए एवं सदैव मातृशक्तियों के सम्मान, सुरक्षा एवं मानव हित में कार्य करने वाले मानव हितैषी चंद्रकुमार बसेने ने किसानों को ठंडा शुद्ध पेयजल पिलाने के लिए एक छोटाहाथी वाहन में ठंडे पानी के अनेक डिब्बे लेकर बैल बाजार पहुंचे। जहां उन्होंने किसानों को ठंडा पानी पिलाया, बैल बाजार में ठंडा पानी पीने वाले किसान भाईयों ने चंद्रकुमार बसेने व अन्य सहयोगियों के इस पुण्य कार्य की खूब सराहना की एवं पानी पिलाने जैसे पुण्य कार्य के लिए चंद्रकुमार बसेने व उनके अन्य सहयोगियों का किसानों ने धन्यवाद कर आभार व्यक्त किया है। इसे मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद नवांकुर संस्था के बैनर तले 'चेतना जनकल्याण समिति अमोली अध्यक्ष चन्द्रकुमार बसेने' ने 'जल मंदिर प्याऊ' के तहत अपने अन्य सहयोगियों के साथ सैकड़ों किसानों को बैल बाजार में दोपहर में ठंडा शुद्ध पेयजल पिलाया। इस पुण्य कार्य व धर्म-कर्म के शुभ अवसर पर राकेश अग्रवाल, नीरज पशीने, हरिशंकर बनवारी (मुन्ना बनवाले), संजीव अवधिया व देवेश बिसेन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

ईसीजी मशीन बंद, डॉक्टर्स के नशे में ड्यूटी करने की शिकायत मिली थी

वारासिवनी सिविल अस्पताल पहुंचे विधायक विवेक पटेल

बालाघाट | संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट जिले के वारासिवनी सिविल अस्पताल में जब यह शिकायतें आने लगीं कि डॉक्टर नशे में ड्यूटी पर आ रहे हैं और रात के समय गायब रहते हैं, तो विधायक विवेक पटेल ने शुक्रवार को अचानक अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए है कि ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल के वार्डो का मुआयना किया और वहां भर्ती मरीजों से उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप और अस्पताल का स्टाफ भी उनके साथ मौजूद रहा।

अगस्त 2027 तक तैयार होगा नया अस्पताल

अस्पताल भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल पर चल रहे काम को देखा और निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि अगस्त 2027 तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। विधायक ने साफ कहा कि काम की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा, ताकि बिल्डिंग मजबूत बने और लोगों के काम आए।

मशीनों की खराबी और व्यवहार पर चर्चा

निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि अस्पताल में ईसीजी मशीन बंद पड़ी है और दूसरी सुविधाओं में भी कमी है। विधायक ने इस बारे में डॉक्टर्स से बात की, जिस पर डॉक्टर्स ने भरोसा दिलाया कि वे मरीजों को बेहतर इलाज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विधायक पटेल ने डॉक्टर्स को नसीहत भी दी कि वे मरीजों और उनके परिवार वालों के साथ तमीज और शालीनता से पेश आएं।

सुविधाओं के विस्तार का भरोसा

विधायक ने कहा कि उनका मकसद वारासिवनी क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना है। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि वे नए भवन के निर्माण पर लगातार नजर रखें ताकि काम जल्दी पूरा हो। विधायक को उम्मीद है कि नए भवन के शुरू होते ही अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

एसपी कृष्ण लालचंदानी का 'एक्शन प्लान'

अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त, गौ-तस्करों पर पांच हजार का इनाम!

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता rashtrabaan.in

जिले में कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए जहां पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, वहीं एसपी ने साफ कर दिया है कि महकमे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी लालचंदानी ने अपराधियों के साथ-साथ उन्हें शह देने वाले काली भेड़ों (पुलिसकर्मियों) को भी खुली चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी अपराधियों को संरक्षण दिया, तो उसे सीधे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रग पैडलर्स और गौ-तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया गया है।

आगामी ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मद्देनजर सिवनी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित करें। एसपी ने स्पष्ट कहा कि त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जा रही है और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों के जरिए उपद्रवियों पर नजर रखी जाएगी। एसपी ने दोटूक शब्दों में कहा कि ड्यूटी में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सिवनी पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की इस प्रेस वार्ता ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिले की पुलिसिंग का चेहरा बदलने वाला है। अपराधियों में खौफ और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस अब 'एक्शन मोड' में आ चुकी है। तस्करों, सप्लायरों और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के लिए सिवनी में अब कोई जगह नहीं है।

● ड्रग पैडलर्स और सप्लायरों की खैर नहीं

सिवनी शहर और ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहे नशे के कारोबार पर एसपी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। शहर में सक्रिय ड्रग पैडलर्स और बड़े सप्लायरों की गुप्त रूप से जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस की खुफिया विंग (साइबर और क्राइम ब्रांच) को इस काम में लगाया गया है। एसपी लालचंदानी ने चेतावनी देते हुए कहा, नशे के सौदागरों के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा। बहुत जल्द जिले में बड़े स्तर पर धरपकड़ की कार्रवाई देखने को मिलेगी।

● सूचना देने वाले को पांच हजार का इनाम

जिले में अवैध रूप से होने वाली गौ-तस्करी और गौ-कशी की घटनाओं पर पूर्णविराम लगाने के लिए एसपी ने जनता की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति पुलिस को गौ-तस्करी या गौ-कशी से जुड़ी सटीक जानकारी देगा, उसे पांच का नकद इनाम दिया जाएगा। ग्रामीणों और आम जनता में विश्वास जगाने के लिए एसपी ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले सजग नागरिक का नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे का सामना न करना पड़े।

● संरक्षण देने वाले खाकीधारी होंगे सीधे बर्खास्त

इस प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा और कड़ा संदेश खुद पुलिस महकमे के भीतर छिपे दागी चेहरों के लिए था। पुलिस अधीक्षक ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी किसी अपराधी, गौ-तस्कर या ड्रग माफिया को संरक्षण देता हुआ पाया गया, या उनके साथ संलिप्तता उजागर हुई, तो उसे निलंबित नहीं, बल्कि सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। एसपी के इस बयान से साफ है कि वे न केवल बाहरी अपराधियों से निपट रहे हैं, बल्कि विभाग के भीतर 'क्लीनिंग ऑपरेशन' चलाने के मूड में भी हैं। इस ऑपरेशन की जनता में काफी चर्चा चल रहा है कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

एक नजर में एसपी के कड़े निर्देश

- **संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी:** ईद के त्योहार को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी; लापरवाही पर गाज गिरना तय।
- **नशे के खिलाफ युद्ध:** शहर के सभी छोटे-बड़े ड्रग पैडलर्स और सप्लायर्स की लिस्ट तैयार, जल्द होगी जेल के पीछे सलाखें।
- **गौ-संरक्षण के लिए बड़ा कदम:** गौ-तस्करों की मुखबिरी करने वाले को ज5,000 का इनाम, पहचान रहेगी गुप्त।
- **खाकी पर नकेल:** अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधे होगी बर्खास्तगी।

फाइव स्टार फाइनेंस कंपनी को बदनाम करने की साजिश?

वकील और डिफॉल्टरों के गठजोड़ का पर्दाफाश!

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता rashtrabaan.in

सिवनी। संवाददाता

एक प्रतिष्ठित और नियमानुसार काम करने वाली वित्तीय संस्था को सोची-समझी रणनीति के तहत बदनाम करने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। फाइव स्टार फायनेंस की ओर से अपने ऊपर लगे आरोपो का खंडन और वकील के साथ कुछ डिफाल्टर ग्राहकों पर संगीन आरोप लगाए है। शहर में वर्षो से लोगों को वित्तीय संबल देने वाली फ़ाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की साख पर कीचड़ उछालने के लिए कुछ तथाकथित पीड़ित और एक ब्लैकमेलर वकील ने मिलकर सिंडिकेट तैयार किया है। सीधे-साधे शब्दों में कहें तो, यह पूरा मामला कर्ज लेकर न चुकाने वाले डिफ़ॉल्टरों को बचाने और कंपनी से मोटी रकम ऐंठने के लिए बुना गया एक कानूनी और सामाजिक जाल नजर आ रहा है।

वकील की भूमिका पर तीखे सवाल, क़ानून का सहारा या पब्लिसिटी स्टंट?

इस पूरे विवाद में जो चेहरा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है, वह हैं पीड़ितों के स्वघोषित मसीहा बने एडवोकेट हिमांशु चक्रवर्ती का है जो न्याय दिलाने के नाम पर कोर्ट-कचहरी की गरिमा का हवाला देने वाले वकील साहब की भाषा और आक्रामक रवैया खुद कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एक प्रशिक्षित कानूनी सलाहकार का काम अदालतों में सबूत पेश करना है या सोशल मीडिया में आधी-अधूरी कहानियां फैलाकर मीडिया ट्रायल चलाना है?

जानकारों का कहना है कि जब कोई ऋणदाता लोन की किश्तें चुकाने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो कानूनी तौर पर कंपनी को अपनी राशि वसूलने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ वकील साहब ने पीड़ितों को कानूनी सलाह देने के बजाय, उन्हें ढाल बनाकर कंपनी के अधिकारियों पर व्यक्तिगत और अमर्यादित हमले शुरू कर दिए हैं।न्यायालय की शरण में जाएंगे जैसी बातें सिर्फ हेडलाइन बटोरने और कंपनी पर दबाव बनाने की एक सोची-समझी ब्लैकमेलिंग स्क्रिप्ट का हिस्सा प्रतीत होती हैं।

गरीबों का खून या डिफ़ॉल्टरों का बहाना?

समाचारों में गरीबों का खून चूसने वाले फाइनेंस माफिया जैसे भारी-भरकम और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल कर जनता की सहानुभूति बटोरने का खेल खेला जा रहा है। आइए इसके पीछे का असली सच यह है कि फ़ाइव स्टार फाइनेंस कंपनी कोई अवैध सूदखोर नहीं है, बल्कि रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के तहत पंजीकृत संस्था है। जब शिकायतकर्ता अहिल्या ठाकरे, किरण पटले, वसुंधरा सोनवाने , जमीला बी, जाहिर खान, आशिया बी पति जलील आदि ने लोन लिया था, तब उन्होंने हर एक नियम, फाइल चार्ज और लोन की अवधि से जुड़े दस्तावेजों पर खुद हस्ताक्षर किए थे। वही जब तक लोन की रकम जेब में आ रही थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने नियमों के मुताबिक फाइल चार्ज और ब्याज की गणना की, तो इन ग्राहकों को अचानक खुद मे मजदूर अपने आप को बताने लगे। साथ ही आशिया बी पति जलील का यह दावा कि 5 साल का लोन अचानक 7 साल का कैसे हो गया। पूरी तरह से वित्तीय अज्ञानता या जानबूझकर की जा रही राजनीति है। लोन की अवधि लोन राशि हितग्राही को देने के पहले तय की जाती है और सेंक्शन लेटर पर ही स्त्रह्र ऑफिस लोन के अतर्गत दिए गए दस्तावेज पर बंधक करता है जो कि पारदर्शिता के तहत किया जाता है। और इसके बाद जब ग्राहक समय पर किश्तें नहीं चुकाते और उस पर लगने वाली पेनाल्टी नहीं देते है तो अतिरिक्त ब्याज जुड़ता जाता है। इसे अवैध वसूली कहना वित्तीय नियमों का मजाक उड़ाना है।

लेखराम लडिया, एरिया मैनेजर

हिमांशु चक्रवर्ती, एडवोकेट

कंपनी के स्टाफ को टारगेट करने की साजिश

रिपोर्ट्स में कंपनी के एरिया मैनेजर लेखराम लडिया और ब्रांच मैनेजर प्रकाश तिवारी को विलेन की तरह पेश किया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि वे आधी रात को गुंडागर्दी करते हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। यह पूरी तरह से एकतरफा और मनगढ़ंत कहानी लगती है। असल में, जब रिकवरी टीम बार-बार डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों के घर कानूनी तौर पर कलेक्शन करने जाती है, तो उनके खिलाफ विक्टिम कार्ड (पीड़ित होने का नाटक) खेला जाता है। महिलाओं को आगे कर देना और कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगा देना आजकल रिकवरी से बचने का सबसे आसान और घिनौना हथकंडा बन चुका है जो कि बीच के बिचौलिए करने सामने आ जाते है , जैसे अभी किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और संस्थान के पैसे की रक्षा कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह न्यायसंगत है।

प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश

वकील और डिफ़ॉल्टरों का यह गुट अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस और कानून अंधा नहीं होता। पुलिस बखूबी जानती है कि कमर्शियल और लोन डिस्प्यूट (वित्तीय विवादों) को सिविल और क्रिमिनल रंग देकर कैसे सनसनी बनाई जाती है। वही एरिया मैनेजर लेखराम लडिया और ब्रांच मैनेजर प्रकाश तिवारी का कहना है कि फ़ाइव स्टार फाइनेंस कंपनी ने सेवानी जिले में कई वर्षों से अपनी साख ईमानदारी से बनाई है। नियमों के तहत लिया गया लोन हर हाल में चुकाना ही होगा। वकील साहब के तीखे मसालों और भड़काऊ बयानों से न तो कानून की दिशा बदलेगी और न ही डिफ़ॉल्टरों का कर्ज माफ़ होगा। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों से सिर्फ शहर का व्यावसायिक माहौल खराब हो रहा है।

शादी के 13वें दिन बहू को कुल्हाड़ी से काट डाला

पति ने कहा- बड़े भाई ने कमरा बंद कर रेप की कोशिश की, विरोध करने पर मार डाला

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता rashtrabaan.in

सिवनी जिले के खजरी गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी ने उसकी गर्दन, पेट, हाथ और कमर पर इतने वार किए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद से आरोपी जेठ फरार है।

घंसौर पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान 23 वर्षीय सरिता मरकाम के रूप में हुई है। उसका विवाह महज 13 दिन पहले 10 मई को खजरी गांव के बबलू मरकाम से हुआ था। अभी उसकी मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं था। घर में शादी की खुशियों का माहौल था, लेकिन शुक्रवार सुबह घर के भीतर ही इस खूनी खेल ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया।

बंद दरवाजे के पीछे घिनौनी करतूत

पति बबलू मरकाम ने पुलिस को बताया- मेरे बड़े भाई ने घर का दरवाजा बंद कर मेरी पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की। पत्नी विरोध किया तो वह गुस्से में अंधा हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम अब्बू लाल मरकाम (35 वर्ष) है। वह सनकी और आपराधिक प्रवृत्ति का है। एक मामले में जेल भी जा चुका है।

सरिता मरकाम, मृतक

चश्मदीद भानजी ने कहा- मामी को बचाने मैं हंसिया लेकर दौड़ी

मृतका की भानजी पिंकी इस वारदात की चश्मदीद गवाह है। उसने बताया- बड़े मामा छोटी मामी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और मामी के गले और हाथ पर वार करना शुरू कर दिया। मामी को खून से लथपथ देख मैं उन्हें बचाने के लिए घर के भीतर से हंसिया लेकर बाहर दौड़ी और चिल्लाकर सबको बुलाया। मेरी आवाज सुनकर बड़े नाना दौड़कर आए और उन्होंने मामी को छुड़ाया। फिर छोटे मामा (बबलू) को बुलाया, लेकिन तब तक मामी पर हमला कर बड़े मामा मौके से भाग चुके थे।

मौके पर पहुंची पुलिस, फरार आरोपी की तलाश तेज

हत्याकांड की सूचना मिलते ही घंसौर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल को पूरी तरह सील कर वहां का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस आरोपी के मानसिक बीमारी के दावे सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार जंगलों और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

विधायक मुनमुन राय का तीखा प्रहार: कीटनाशकों के जहर ने उजाड़ दी प्रकृति, गौरैया का पलायन विनाश की दस्तक!

राष्ट्रबाण लखनादौन| संवाददाता rashtrabaan.in

आधुनिकता के नाम पर प्रकृति के सीने पर हल चलाने वालों को सिवनी के कद्दावर भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जमकर आड़े हाथों लिया। शुक्रवार 22 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर वन विद्यालय लखनादौन में वन विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक ने कोई रटी-रटाई बातें नहीं कीं, बल्कि सीधे पर्यावरण विनाश के कड़वे सच से पर्दा उठा दिया। मां सरस्वती के पूजन और अफसरों द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत के बाद जैसे ही मुनमुन राय माइक पर आए, उन्होंने अपने बेबाक अंदाज से पंडाल में बैठे अधिकारियों से लेकर आम जनता तक को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पैसा कमाने की होड़ में हमने कृषि प्रधान फसलों का ऐसा जाल बिछाया कि जंगलों में मिलने वाली अनमोल, जीवनदायिनी जड़ी-बूटियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। खेतों में अंधाधुंध डाले जा रहे रासायनिक जहर पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यह कीटनाशक सीधे मानव जीवन को मौत के घाट उतार रहे हैं और शहरों से मासूम गौरैया का पलायन कोई मामूली बात नहीं, बल्कि आने वाले भीषण पर्यावरणीय विनाश का सायरन है। गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग को अत्यंत भयावह बताते हुए विधायक ने वन महकमे की दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा कि यह आग नन्हे पौधों, छोटे कीट-पतंगों और बेजुबान वन्य जीवों के पूरे प्राकृतिक जीवन चक्र को राख कर रही है।

पीएम मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए दिनेश

विधायक मुनमुन ने खरीदी इलेक्ट्रिक कार

राष्ट्रबाण सिवनी| संवाददाता rashtrabaan.in

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत (ग्रीन इंडिया) और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान से प्रेरित होकर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने एक अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्रकृति को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ अपने दैनिक उपयोग के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदी है। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने देश को प्रदूषण मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा ग्रीन एनर्जी और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्हीं के इसी विजन से प्रेरित होकर उन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया है।

विधायक दिनेश राय मुनमुन की इस पहल की क्षेत्र में चारों ओर सराहना हो रही है। आम जनता और प्रबुद्ध नागरिकों का मानना है कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा खुद आगे बढ़कर ई-व्हीकल अपनाना समाज के लिए एक बड़ा और सकारात्मक संदेश है। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि आम लोगों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। विधायक जी ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों से भी अपील की है कि वे अपनी क्षमता अनुसार प्रकृति को बचाने के लिए छोटे-छोटे प्रयास जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित भविष्य दिया जा सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक* संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433